



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012026-269319
CG-DL-E-13012026-269319

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947

No. 177]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 187(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा इलेक्ट्रिकल सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को इलेक्ट्रिकल सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. उक्त आदेश में, तालिका-1 में, कॉलम (2) में भारतीय मानक “7809 (भाग 3/खंड 1): 1986 ” से संबंधित अंतिम प्रविष्टि और कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि अर्थात् “इलेक्ट्रिकल प्रयोजनों के लिए प्रेसर सेन्सिटिव एडहेसिव इंसुलेटींग टेप हेतु

विनिर्देशन – भाग 3 की अपेक्षाएँ या अलग-अलग सामग्री -धारा1 – नॉन-थर्मोसेटिंग एडहेसिव प्लास्टिसाइड पॉलीविनाइलक्लोराइड टेप्स” का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. पी-29026/22/2023–एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

नोट- मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सा.आ.सं. 43(अ), दिनांक 3 जनवरी, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 13th January, 2026

S.O. 187(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, after consulting the Bureau hereby makes the following Order to amend the Electrical Accessories (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) This order may be called the Electrical Accessories (Quality Control) Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the said order, in Table-1, the last entry pertaining to Indian Standard “7809 (Part 3/ Sec 1): 1986” in column (2) and corresponding entry in column (3) i.e., “Specification for Pressure sensitive adhesive insulating tapes for electrical purposes- Part 3 requirements or individual materials – Sec 1 plasticized polyvinylchloride tapes with non-Thermosetting adhesive” shall be omitted.

[F. No. P-29026/22/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Note. - The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 43(E), dated the 3rd January, 2024.